भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3777

जिसका उत्तर 25.03.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार

3777 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पीएम राहत (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट) योजना की वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ख) फरवरी 2026 में देशव्यापी स्तर पर इसके शुभारंभ के बाद से 1.5 लाख रुपए की नकद रहित (कैशलेस) उपचार सुविधा से लाभान्वित होने वाले दुर्घटना पीड़ितों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के तहत अस्पतालों द्वारा उपचार करने से इनकार न किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर नियुक्त "शिकायत निवारण अधिकारियों" का ब्यौरा क्या है; और

(घ) "हिट एंड रन" के ऐसे मामलों को कवर करने के लिए मोटर यान दुर्घटना निधि (एमवीएएफ) का बजटीय आवंटन कितना है जिनमें दोषी वाहन की पहचान नहीं हो पाती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मोटर यान अधिनियम (एमवी अधिनियम), 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, "प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना" अधिसूचित की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, संबंधित हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विस्तृत विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के बाद, यह योजना 13.02.2026 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू की गई है।

(ख) योजना की शुरुआत के बाद से, 20 मार्च 2026 तक देश भर में सड़क दुर्घटना के 1,596 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 305 मामलों को पुलिस अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि, अस्वीकृत मामलों में भी, पुलिस द्वारा अस्वीकृति के समय तक जानलेवा 65 मामलों के लिए आंशिक योजना कवरेज प्रदान किया गया था ताकि मृत्यु दर को कम करने और अस्पतालों को वित्तीय निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जिससे ऐसे पीड़ितों को उपचार से इनकार नहीं किया जाएगा।

(ग) दिनांक 04.06.2025 के का.आ. 2489 (अ) के माध्यम से जारी पीएम राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विस्तृत विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार,प्र त्येक जिले के लिए डीआरएससी द्वारा एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया जाता है। यदि डीआरएससी द्वारा शिकायत का समाधान संतोषजनक न हो, तो उसे संबंधित जिला कलेक्टर और उसके बाद एसआरएससी को भेजा जा सकता है। अब तक प्राप्त जीआरओ का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ) पीएम राहत योजना के तहत, अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष (एमवीएएफ) के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा रही है, जो उन मामलों के लिए सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है जहां उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन का बीमा किया गया है और साथ ही , बिना बीमा वाले और हिट एंड रन मामलों के लिए बजटीय समर्थन के माध्यम वित्तपोषित किया जाता है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, केंद्र सरकार को हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या गंभीर चोट के लिए मुआवजा प्रदान करना अनिवार्य है। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 अधिसूचित की गई है और सा.का.नि. 163 (अ) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना 2022 के तहत 01.04.2022 से लागू की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की निश्चित राशि और गंभीर चोट लगने पर 50,000 रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। योजना में निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया के अनुसार दावेदारों को मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।

केंद्रीय मोटर वाहन (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 10(1)(ग) हिट एंड रन मुआवजा खाते के मामले में धन के स्रोतों का प्रावधान करता है। इस खाते को भारत में मोटर बीमा का कारोबार करने वाली बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए कुल तीसरे पक्ष प्रीमियम के ऐसे प्रतिशत से जमा किया जाएगा जो ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया गया है:

बशर्ते कि बीमा कंपनियां ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जैसा और जब निर्दिष्ट किया जाएगा, अंशदान जमा करेंगी।

अनुलग्नक

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार के संबंध में श्री के. आर. एन. राजेश कुमार द्वारा दिनांक 25.03.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3777 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जिले	नामित शिकायत निवारण अधिकारी
1	अंडमान और निकोबार	3	3
2	आंध्र प्रदेश	26	26
3	अरुणाचल प्रदेश	28	25
4	असम	35	30
5	बिहार	38	33
6	चंडीगढ़	1	1
7	छत्तीसगढ	33	33
8	दादरा और नगर हवेली	3	3
9	दिल्ली	13	13
10	गोवा	2	2
11	गुजरात	34	34
12	हरियाणा	22	22
13	हिमाचल प्रदेश	12	12
14	जम्मू और कश्मीर	20	20
15	झारखंड	24	24
16	कर्नाटक	31	31
17	केरल	14	14
18	लद्दाख	2	1
19	लक्षद्वीप	1	1
20	मध्य प्रदेश	55	55
21	महाराष्ट्र	36	36
22	मणिपुर	16	16
23	मेघालय	12	12
24	मिजोरम	11	11
25	नागालैंड	17	14
26	ओडिशा	30	30
27	पंजाब	23	23
28	पुदुचेरी	2	2
29	राजस्थान	41	41
30	सिक्किम	6	6
31	तमिलनाडु	38	32
32	त्रिपुरा	8	8

33	तेलंगाना	33	31
34	उत्तर प्रदेश	75	75
35	उत्तराखंड	13	12
	कुल योग	758	732

नोट: - पश्चिम बंगाल राज्य अभी तक योजना में शामिल नहीं हुआ है।
